राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें,
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः NRHM/RCH-II/JSY/11/2355 दिनांकः 24/8/11

समस्त जिला कलेक्टर,
समस्त प्रधानार्चाय एवं नियंत्रक, सम्बन्धित मेडिकल कॉलेज,
समस्त अधीक्षक, सम्बन्धित मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल,
समस्त अधीक्षक एवं विभागाध्यक्ष महिला चिकित्सालय, सम्बन्धित मेडिकल कॉलेज,
समस्त अधिक्षक एवं विभागाध्यक्ष शिशु चिकित्सालय, सम्बन्धित मेडिकल कॉलेज,
समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद।
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,

विषयः—जननी शिशु सुरक्षा कार्यकम के तहत सार्वजनिक चिकित्सा संस्थानों में प्रसव कराने वाली सभी गर्भवती महिलाओं एवं बीमार नवजात शिशुओं को निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु दिशा—निर्देश।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हैं कि राज्य में जननी शिशु सुरक्षा कार्यकम अतिशिघ्र प्रारम्भ किया जा रहा है जिसके तहत सभी गर्भवती महिलाओं एवं बीमार नवजात शिशुओं के ईलाज हेतु सभी प्रकार की सुविधाऐं निःशुल्क उपलब्ध करवाई जानी है। सभी लाभार्थी महिलाओं एवं बीमार नवजात शिशुओं को निम्न प्रकार निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध करायी जायेगीः—

गर्भवती व प्रसुता (प्रसव के बाद 6 सप्ताह तक) महिलाओं एवं 30 दिवस तक की उम्र वाले बीमार नवजात शिशुओं के लिए परिवहन सुविधाः— जननी शिशु सुरक्षा कार्यकम के अन्तर्गत मातृ एवं शिशु बीमारी व मृत्यु दर कम करने हेतु सभी गर्भवती महिलाओं, प्रसूताओं एवं बीमार नवजात शिशुओं को निःशुल्क परिवहन सुविधा निम्नानुसार उपलब्ध करायी जायेगीः—

1. घर से चिकित्सा संस्थाओं तक।
2. चिकित्सा संस्थाओं से वापस घर तक।
3. आपातकालीन स्थिति में अथवा जटिलता उत्पन्न होने पर संस्थान से अन्य उच्च चिकित्सा संस्थान तक केवल जटिलता का प्रकार सुनिश्चित एवं अंकित करने पर।

घर से चिकित्सा संस्था तक लाने के लिए उपलब्ध साधनों का उपयोग निम्नानुसार प्राथमिकता के कम में किया जाना चाहिऐः—

- 108 ऐम्बुलेंस
- राजकीय जिला चिकित्सालय उप जिला चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं अन्य चिकित्सा संस्थान पर उपलब्ध राजकीय ऐम्बुलेंस/वाहन।
- जिलों में उस क्षेत्र में उपलब्ध प्राईवेट ऐम्बुलेंस/टेक्सी/अन्य निजी वाहन।

चिकित्सा संस्थान से ईलाज के बाद सक्षम अधिकारी द्वारा डिस्चार्ज पर घर तक पहुंचाने के लिए उपलब्ध साधनों का उपयोग निम्नानुसार प्राथमिकता के कम में किया जाना चाहिऐः—

- राजकीय जिला चिकित्सालय उप जिला चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं अन्य चिकित्सा संस्थान पर उपलब्ध राजकीय ऐम्बुलेंस/वाहन।
- जिलों में उपलब्ध प्राईवेट ऐम्बुलेंस/टेक्सी/अन्य निजी वाहन।
- 108 ऐम्बुलेंस

ईलाज के बाद डिस्चार्ज के समय घर छोडने के लिए प्रति दिन डिस्चार्ज की गई गर्भवती–प्रसूताओं एवं नवजात शिशुओं की सूची बनाई जायेगी व रूट चार्ट के अनुसार एक से अधिक लाभार्थियों को एक ही वाहन में परिवहन सुविधा उपलब्ध करायी जानी चाहिऐ। वाहन में लाभार्थियों के अलावा प्रत्येक लाभार्थी के एक रिश्तेदार को भी उक्त सुविधा दी जा सकेगी।

सभी गर्भवती, प्रसूता महिलाओं एवं बीमार नवजात शिशुओं को परिवहन साधन उपलब्ध कराने के लिए राज्य स्तर पर 108 टोल फ्री कॉल सेन्टर की स्थापना की जा रही है, जिस पर राज्य में उपलब्ध सभी 108 ऐम्बुलेंस, राजकीय जिला चिकित्सालयों – उप जिला चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों – प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपलब्ध राजकीय ऐम्बुलेंस/वाहन तथा सभी जिलों से ब्लॉकवाईज उपलब्ध करायी गयी प्राईवेट ऐम्बुलेंस/टेक्सी/अन्य निजी वाहनों की सूची उपलब्ध रहेगी।

प्रसूताओं एवं नवजात शिशुओं के परिवहन के लिए वाहन की आवश्यकता होने पर 108 टोल फ्री कॉल सेन्टर पर कॉल करने पर गर्भवती, प्रसूता एवं बीमार नवजात शिशुओं हेतु उपरोक्त क्रम में वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जायेगी।

राजकीय चिकित्सालयों पर उपलब्ध सरकारी वाहनों के रखरखाव एवं पीओएल के लिए जिला स्वास्थ्य समितियों को मांग एवं उनकी वास्तविक आवश्यकता के अनुसार बजट आवंटित किया जायेगा। जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा जिले के सभी राजकीय चिकित्सा संस्थानो पर उपलब्ध वाहनों हेतु आवश्यक बजट की उपलब्धता सुनिश्चित की जावेगी।

प्राईवेट वाहनों के किराये के भुगतान के लिए सभी राजकीय चिकित्सा संस्थाओं (जिला स्तर से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर तक) पर जहॉ संस्थागत प्रसव कराये जा रहे है संस्थागत प्रसवों की संख्या के अनुसार जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से बजट उपलब्ध कराया जायेगा तथा निजी वाहनो के भुगतान की जिम्मेदारी सम्बन्धित चिकित्सा संस्था के प्रभारी की होगी।

प्राईवेट/निजी वाहनों के किराये का भुगतान निम्न दर से किया जायेगाः–

- 12 कि.मी. तक की दूरी पर – रूपये 125/–
- 12 कि.मी. से अधिक परन्तु 25 कि.मी. तक की दूरी पर – रूपये 250/–
- 25 कि.मी. से अधिक दूरी के लिए – रूपये 250/– के अलावा 7 रूपये प्रति कि.मी. की दर से भुगतान किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार जिलों में रैफरल परिवहन सुनिश्चित किये जाने हेतु कार्य बिन्दुः–

1. रेफरल परिवहन सुविधा 24 घंटे उपलब्ध होनी चाहिए
2. 108 टोल फ्री एक कॉल सेन्टर स्थापित किया गया है। इसका उपयोग करते हुए 108 ऐम्बुलेंस, बेस ऐम्बुलेंस, प्राईवेट ऐम्बुलेंस/टेक्सी/अन्य निजी वाहन का परिवहन हेतु उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
3. चिकित्सा संस्थान स्तर पर उस क्षेत्र के गांवों व ढाणियों की दूरी का मैप–चार्ट उपलब्ध रहना चाहिऐ।
4. उपलब्ध परिवहन सुविधा का क्षेत्र में व्यापक प्रचार – प्रसार सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
5. परिवहन हेतु उपयोग में लिये गये वाहनों, उनको किये गये भुगतानों, लाभान्वित महिलाओं/बीमार नवजात शिशुओं, का पूर्ण विवरण संधारित किया जाना चाहिऐ।
6. रैफरल परिवहन सुविधा की प्रभावी निगरानी एवं निरिक्षण (मॉनिटरिंग) किया जाना चाहिऐ।
7. सभी चिकित्सा संस्थाओं पर संस्थान से रैफर किये जाने वाले एवं रैफर होकर आने वाले मरीजों के लिए 2 अलग–अलग रैफरल ट्रांसपोर्ट रजिस्टर संधारित किये जायेंगे जिनके प्रपत्र संलग्न कर भिजवाये जा रहे है।

8. पूर्व में जेएसवाई योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन हेतु दी जाने वाली राशि जेएसएसके के तहत निःशुल्क रैफरल ट्रांसपोर्ट उपलब्ध करवाने पर नहीं दी जायेगी।
9. इस कार्यक्रम में जननी सुरक्षा योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली [redacted] प्रोत्साहन राशि एवं आशा–सहयोगिनियों, प्रशिक्षित दाईयों एवं जनमंगल जोडो को दी जाने वाली प्रेरक राशि के भुगतान का प्रावधान जारी रहेगा।

प्रमुख शासन सचिव

क्रमांकः NRHM/RCH-II/JSY/11/ 2355 दिनांक 24/8/11

प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ :–

1 निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2 निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री महोदय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6 आयुक्त, महिला अधिकारिता विभाग, जयपुर।
7 निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयुपर।
8 निजी सचिव, मिशन निदेशक(एनआरएचएम), जयपुर।
9 निदेशक, आरसीएच/जन स्वास्थ्य/एड्स/आईईसी मुख्यालय, जयपुर।
10 परियोजना निदेशक, एनआरएचएम, मुख्यालय, जयपुर।
11 वित्तीय सलाहकार, एनआरएचएम/मुख्य लेखा अधिकारी, प.क., मुख्यालय, जयपुर।
12 जिला प्रमुख, समस्त जिले।
13 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद–समस्त।
14 संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
जोन–जयपुर/अजमेर/जोधपुर/उदयपुर /कोटा/बीकानेर/भरतपुर।
15 समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक/जिला लेखा प्रबन्धक।
16 डिविजनल एमसीएच कॉर्डिनेटर अजमेर/कोटा/बीकानेर/उदयपुर।
17 समस्त जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी/अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/उपमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प.क. /स्वास्थ्य।
18 समस्त ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/ समस्त ब्लॉक कार्यक्रम प्रबन्धक समस्त जिले।
19 समस्त चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी उप जिला अस्पताल/सेटेलाईट अस्पताल/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र।
20 प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि समस्त जिलों में एवं सम्बन्धितों को ई–मेल द्वारा सूचना भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
21 रक्षित पत्रावली।

निदेशक (आरसीएच)